

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 17.03.2023

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने एवं चोरी करने के आरोप में अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद के अपराध एवं अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष गीडा के कुशल निर्देशन में उ०नि० आलोक कुमार राय चौकी प्रभारी पिपरौली मय हमराह का० माधव मुरारी ,का० रामविशाल यादव,म०का० मीनू राय,म०का० वन्दना कनौजिया द्वारा मु०अ०सं० 151/2023 धारा 147,504,452,427,324,308,379 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुग्रीव राजभर पुत्र स्व० जंगीलाल राजभर निवासी बरहुआ थाना गीडा गोरखपुर व अभियुक्ता सुशीला देवी पत्नी सुग्रीव राजभर निवासिनी बरहुआ थाना गीडा गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –वादी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि पुरानी रंजीश को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की पत्नी एवं वादी को एक राय होकर गाली गुप्ता देना एवं मना करने पर घर में घुसकर सामान तोड़ना तथा फरसे से वादी की पत्नी के सर पर मारना जिससे गम्भीर चोट आना तथा घर में रखे बक्शे का ताला तोड़कर जेवरात व 5000/- रुपये चोरी कर लिया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम पता-

1. सुग्रीव राजभर पुत्र स्व० जंगीलाल राजभर निवासी बरहुआ थाना गीडा गोरखपुर
2. सुशीला पत्नी सुग्रीव राजभर निवासिनी बरहुआ थाना गीडा गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 151/2023 धारा 147.504,452,427,324,308,379 भादवि थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० आलोक कुमार राय चौकी प्रभारी पिपरौली थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. का० माधव मुरारी थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. का० रामविशाल यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. म०का० मीनू राय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
5. म०का० वन्दना कनौजिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर